

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञाप संख्या- भ०नि०-5-बजट (यो०)-543/18.....५२३(भ)/राँची, दिनांक-०३-३-२२

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, डालटनगंज।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय शीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-01- कार्यालय भवन-051-निर्माण-उपशीर्ष-58-कार्यालय भवन/परिसदन भवन- विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-मुख्य निर्माण कार्य-विपत्र कोड-03S40590105158000545 के अन्तर्गत निधि का आवंटन।

आदेश:- उपर्युक्त व्यय शीर्ष के अंतर्गत निम्न सूची में उल्लिखित कार्य के सामने कॉलम-6 में अंकित राशि आवंटित की जाती है :-

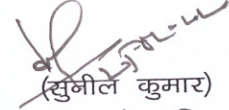
क्र० सं०	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृत राशि	2020-21 तक आवंटित/ व्यय की राशि	2021-22 में पूर्व आवंटन	2021-22 में वर्तमान आवंटन	2021-22 में कुल आवंटन
1	2	4		5	6	7
1	Proposed Construction of EVM Warehouse at Daltonganj (परामर्शी शुल्क) (स्वीकृत्यादेश सं०-119(भ) दिनांक-25.06.2018)	4,35,42,500/-	2,73,88,478/-	1,61,72,612/-	6,70,679/-	1,68,43,291/-
कुल :-				1,61,72,612/- (एक करोड़ एकसठ लाख बहतर हजार छः सौ बारह रु० मात्र)	6,70,679/- (छः लाख सतर हजार छः सौ उनासी रु० मात्र)	1,68,43,291/- (एक करोड़ सरसठ लाख तैंतालीस हजार दो सौ एकानवे रु० मात्र)

- (2) आवंटित राशि व्यय शीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-01- कार्यालय भवन-051-निर्माण-उपशीर्ष-58-कार्यालय भवन/परिसदन भवन- विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-मुख्य निर्माण कार्य-विपत्र कोड-03S40590105158000545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से विकलनीय है।
- (3) आवंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि० (2) दिनांक-17/04/98, वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि० दिनांक-15/07/03, पत्रांक-533/वि० दिनांक-03/03/04 एवं पत्रांक-1681/वि० दिनांक-10.06.15 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत एवं परिपत्र के आलोक में की जाय।
- (4) आवंटित राशि से अधिक अथवा अन्य मदों में व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय।
- (5) आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 15 तारीख तक टी०भी० नं०, चेक नम्बर एवं तिथि के साथ महालेखाकार एवं विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें।
- (6) इस राशि से किसी भी हालत में बिना पूर्वानुमति के सेल्फ चेक की निकासी नहीं की जाय।
- (7) कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक ईकाई आदि की मुहर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब कीक से रखा जा सके।

- (8) आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 475 में किये गये निर्देश के आलोक में किया जाय। इसके साथ ही वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय।
- (9) इसकी सूचना महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा), झारखण्ड, राँची को भी दी जा रही है।
- (10) राशि की निकासी में बिहार कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन सख्ती से किया जाय अर्थात् तुरन्त भुगतान हेतु आवश्यक राशि से अधिक राशि की निकासी नहीं की जाय।
- (11) यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी योजना में बिना पूर्वानुमति के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक का व्यय न हो।
- (12) लोक निर्माण संहिता में वर्णित प्रावधानों के अनुसार इस योजना का कार्यान्वयन सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कराया जायेगा। बिना तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए कोई राशि इस योजना में व्यय नहीं किया जायेगा।
- (13) कार्य के निष्पादन में महालेखाकार द्वारा समय-समय पर उठाई गई आपत्तियाँ यथा टेंडर निष्पादन में विलम्ब, माइन्स विभाग के परिपत्र के आलोक में रायल्टी कटौती (बिना खनन विभाग के क्लीयरेन्स के दोगुना देय होगी) गुणवत्ता पर ध्यान देय होगा, Quality Testing कर भुगतान हो एवं ऐसा प्रयास हो कि पुनः आपत्ति न आए।
- (14) सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखना अंकेक्षण आपत्तियों का प्राथमिकता से अंकेक्षण के दौरान एवं प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निष्पादन प्राथमिकता पर करते हुए उसे Drop कराना।
- (15) महालेखाकार/विभाग के निर्देशानुसार त्रैमासिक/वार्षिक लेखा का विभाग/महालेखाकार कार्यालय से मिलान कर त्रुटियों का निराकरण करना सुनिश्चित करना है।
- (16) संबंधित योजना की तकनीकी स्वीकृति की सूचना शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।
- (17) कार्य योजना के विरुद्ध व्यय/भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि कार्यों की डुप्लीकेटिंग तो नहीं हो रही है। दोषी पाये जाने पर संबंधित कार्यपालक अभियंता से सम्बद्ध राशि वसूलनीय होगी।
- (18) कंडिका-1 के कॉलम-4 में अंकित राशि कार्यपालक अभियंता द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अनुसार है।
- (19) निर्देश दिया जाता है कि संबंधित कार्यालय प्रधान से संतुष्टी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही संवेदक को अंतिम भुगतान करेंगे।
- (20) स्वीकृत योजना में विचलन होने पर सक्षम स्तर से स्वीकृत विस्तृत प्रतिवेदन के साथ राशि की मांग की जाय।
- (21) कार्यकारी एजेंसी किसी भी नवनिर्माण/जीर्णोद्धार/अनुरक्षण/मरम्मत/सुसज्जीकरण संबंधी योजना हेतु विभाग से आवंटन की मांग के पूर्व योजना से संबंधित विवरणी को MIS में प्रविष्ट करेंगे। तदोपरान्त ही विभागीय सत्यापन के पश्चात् राशि की विमुक्ति पर विचार किया जाएगा।
- (22) अनुरक्षण/मरम्मत/सुसज्जीकरण संबंधी मामलों में कार्यकारी एजेंसी को अभियंता प्रमुख के कार्यालय में प्राक्कलन भेजना आवश्यक होगा तथा प्रस्ताव/अध्याचन भेजते समय ही पूर्व में उपलब्ध करायी गई सामग्री का Stock Position व अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी देनी होगी तथा स्वीकृति के पश्चात् उपलब्ध कराये गये संसाधनों की Stock entry का भी दायित्व होगा।
- (23) मरम्मत/जीर्णोद्धार हेतु राशि की मांग के साथ कार्यपालक अभियंता यह प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे कि उक्त भवन में विगत तीन वर्षों में समान प्रकृति का कार्य नहीं कराया गया है। साथ ही प्रस्ताव उपलब्ध कराने से पूर्व प्राक्कलन

एवं प्राक्कलित राशि पर आवासीय/गैर आवासीय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी की सहमति भी प्राप्त की जाय।

- (24) किसी भी परिस्थिति में बिना सक्षम प्राधिकार के अधियाचना के नवनिर्माण/जीर्णोद्धार/अनुरक्षण/मरम्मत/सुसज्जीकरण का कार्य नहीं जा सकेगा।
- (25) वर्तमान आवंटित राशि पूर्ण रूप से व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।


(सुनील कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :- भ०नि०-5-बजट (यो०)-543/18...../राँची, दिनांक:- 03-3-22

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक0), झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू/उपायुक्त, डालटनगंज/कोषागार पदाधिकारी, डालटनगंज कोषागार/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, राँची/अधीक्षण अभियन्ता, भवन अंचल संख्या-2, राँची/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख कोषांग/संयुक्त सचिव, कोषांग, भवन निर्माण विभाग, राँची/बजट प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सुनील कुमार)
सरकार के सचिव।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

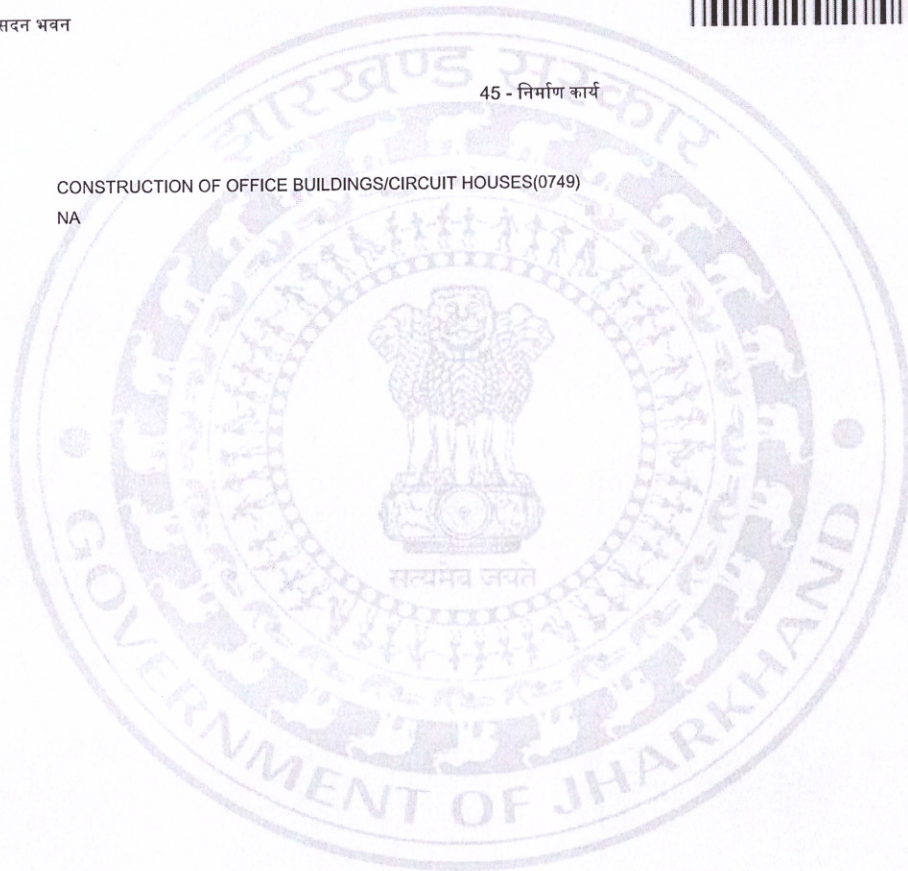
Building Construction Department

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 5-B (Y)-543/18/423(BH)

दिनांक - 08-Mar-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 03 40590105158000545 4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 01 - कार्यालय भवन 051 - निर्माण 58 - कार्यालय भवन/परिसदन भवन 00-NA 05 - निर्माण State Scheme State Scheme : Central Scheme :	85178	PLMBLD035 MD.NASIM ALI EX.ENG.BCD.DTG 45 - निर्माण कार्य	670,679.00 रुपये छः लाख सत्तर हजार छः सौ उन्नासी
	CONSTRUCTION OF OFFICE BUILDINGS/CIRCUIT HOUSES(0749) NA			



योग: रुपये छः लाख सत्तर हजार छः सौ उन्नासी
क्रमिक योग:

670,679.00

(SUNIL KUMAR)
SECRETARY